

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267523
SG-DL-E-10112025-267523

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 339]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 317
No. 339]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947	[N. C. T. D. No. 317

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मण्डलायुक्त (राजस्व)

(जनगणना शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

एफ.सं. आरडी-सेंस/1/2025-जनगणना-राजस्व/विभाग/936.—भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2/1/60-Jud1.11 दिनांक: 20 अप्रैल, 1960 के साथ पठित जनगणना अधिनियम 1948 (1948 का 37) की धारा 4 की उप धारा 2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली निम्नलिखित अनुसूची के कॉलम नं 2 में दर्शाए गए अधिकारियों को कॉलम 3 में पदांकित जनगणना अधिकारियों के तौर पर तथा प्रत्येक के समक्ष कॉलम 4 में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जनगणना 2021 के पूर्व परीक्षण प्री टेस्ट के संचालन के पर्यवेक्षण हेतु सहर्ष जनगणना अधिकारी नियुक्त करते हैं:

अनुसूची

क्रम सं	प्राधिकारी	जनगणना पदनाम	क्षेत्र
1	2	3	4
1	जिला मजिस्ट्रेट, दक्षिण जिला	प्रधान जनगणना अधिकारी	नगर निगम दिल्ली (एम सीडी) के वार्ड संख्या 172, चिराग दिल्ली का भाग
2	विद्यालय प्रधान प्रधानाचार्य उप प्रधानाचार्य, (विद्यालय आईडी: 1925333) राजकीय सर्वोदय सह शिक्षा विद्यालय, शाहपुर जाट, नई दिल्ली 110049	चार्ज अधिकारी	

2. साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा 4) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, पैराग्राफ 1 में नामित प्राधिकारियों को, सहर्ष उनके सम्बंधित अधिकार क्षेत्रों में जनगणना अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार सौंपते हैं।

3. साथ ही, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, पैराग्राफ 1 में नामित प्राधिकारियों को सहर्ष उनके सम्बंधित किसी अधिकार क्षेत्र में किसी व्यक्ति को उनके द्वारा विधिवत रूप से जनगणना अधिकारी नियुक्त करने सम्बंधित लिखित घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करने का अधिकार भी प्रदान करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर
नीरज सेमवाल, सचिव (राजस्व)

OFFICE OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER (REVENUE)

(Census Branch)

NOTIFICATION

Delhi, the 4th November, 2025

F.No RD-Cens/1/2025-Census-REVENUE/Department/936.—Exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of section 4 of the Census Act 1948 (37 OF 1948) read with Govt. of India, Ministry of Home Affairs notification No. 2/1/60-Judi.11 dated the 20th April, 1960, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint the authorities mentioned in column 2 of the Schedule given below, as Census Officers as designated in column 3 and within the areas specified against each in column 4 of the said schedule to take, or aid in, or supervise the taking of, the Pre-Test of 2027 Census Operations in the National Capital Territory of Delhi:-

SCHEDULE

S. No.	Authority	Census Designation	Areas
1	2	3	4
1	District Magistrate, South District	Principal Census Officer	Part of Chirag Delhi Ward No. 172 of Municipal Corporation of Delhi (MCD)
2	Head of School (Principal/Vice-Principal), (School ID-1925333) Govt. Sarvodaya Co-ed Vidyalaya, Shahpur Jat, New Delhi-110049	Charge Officer	

2. In exercise of the powers under sub-section (4) of the section 4 of the said Act, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is further pleased to delegate to the authorities named in paragraph 1, the powers of appointing of Census Officer in respect of the areas within their respective jurisdictions.

3. In exercise of the powers under sub-section (3) of the section 4 of the said Act, the Lieutenant Governor is also pleased to authorize the authorities named in paragraph 1 to sign a declaration in writing that any person has been duly appointed a Census Officer by him for any area under their respective jurisdictions.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of
National Capital Territory of Delhi,
NEERAJ SEMWAL, Secy. (Revenue)